भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5997
जिसका उत्तर बुधवार,4अप्रैल,2018 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का विरोध

5997.श्री जी॰ हरि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ उच्च न्यायालयों ने निचली अदालतों हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के प्रस्ताव का विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; (ख) क्या यह भी सच है कि आठ उच्च न्यायालयों ने प्रस्तावित रूपरेखा में परिवर्तन की मांग की है और सिर्फ दो ने इस विचार का समर्थन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ न्यायपालिका का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों के पास रहे; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में सहमति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रस्तावको अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था, जिसमें यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे। जबकि, कुछ राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थी, कुछ अन्य राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती थी।

केवल सिक्किम और त्रिपुरा उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर सहमत हैं। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़,हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों ने प्रवेश स्तर पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से भरे जाने वाली रिक्तियों कीआयु, अर्हताएं, प्रशिक्षण और कोटे में परिवर्तनों के लिए सुझाया है। शेष उच्च न्यायालय इस विचार के पक्ष में नहीं हैं। अधिकतम उच्च न्यायालय यह चाहते हैं कि अधीनस्थ न्यायपालिका पर संबंधित उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे। झारखंड और राजस्थान उच्च न्यायालयों ने यह उपदर्शित किया है कि एआईजेएस के सृजन से संबंधित मामले विचाराधीन है। कलकत्ता, जम्मू - कश्मीर और गुवहाटी उच्च न्यायालयोंसे अभी तक कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पंजाब राज्य सरकारें एआईजेएस बनाने के पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार चाहती है कि भर्ती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) स्तर पर ही की जाए जो कि भारत के संविधान में यथा अंर्तगत एआईजेएस के उपबंधों के अनुरुप नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार द्वारा

तैयार प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती हैं । हरियाणा राज्य सरकार ने यह कथित किया है कि प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है । मिजोरम राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं की तर्ज पर एआईजेएस के सृजन का समर्थन किया है । जम्मू-कश्मीर राज्य ने यह उल्लिखित किया है कि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए एआइजेएस के गठन के लिए भारत के संविधान के उपबंध, जम्मू - कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं । शेष अन्य राज्यों से कोई जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रस्ताव 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती करने और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया कीसमीक्षा करने में सहायता के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन के संबंध में यह मामला 3 और 4 अप्रैल, 2015 को मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जहां यह संकल्प किया गया कि जिला न्यायाधीशों की त्वरित नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने के लिए विद्यमान प्रणाली के भीतरसमुचित पद्धतियों को विकसित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया जाए ।

तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर पणधारियों के मध्य राय में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सरकार, एक सामान्य आधार पर पहुंचने के लिए परामर्शी प्रक्रिया अपना रही है ।

****